UPMZ010053942024

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफफरनगर

अंतरण प्रार्थना पत्र संख्या–173 सन 2024

श्रीमती संजय रानी बनाम श्रीमती कुसुम पुंडीर आदि

18.09.2024

अंतरण प्रार्थना पत्र 3 ग प्रार्थीया की ओर से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि मूलवाद संख्या 579 सन 2005 संजय रानी बनाम कुसुम पुंडीर एवं सक्सेशन वाद संख्या 60 सन 2005 तथा वाद संख्या 80 सन 2005 संजय रानी बनाम कुसुम सिविल जज, सीनियर डिविजन, मुजफफरनगर मे ंलंबित थे तथा तीनों ही वाद एकजाई थे जिनमें मूलवाद संख्या 579 सन 2005 लीडिंग केस है परंतु मूलवाद अंतरित होकर सिविल जज, सीनियर डिविजन, न्यायालय संख्या 1, मुजफफरनगर में चला गया है जबकि सक्सेशन वाद संख्या 60 सन 2005 तथा वाद संख्या 80 सन 2005 संजय रानी बनाम कुसुम सिविल जज, सीनियर डिविजन, मुजफफरनगर में ही रह गये। तीनों वाद एक दूसरे से संबधित हैं अतः इनकी सुनवाई व निस्तारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना की गयी कि तीनों वादों को एक ही न्यायालय में अंतरित कर दिया जाये। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र जयप्रकाश द्वारा समर्थित है।

2. प्रार्थना पत्र के संबंध में विपक्षीगण को नोटिस प्रेषित किया गया तथा संबधित न्यायालयों से आख्या आहूत की गयी जो पत्रावली में संलग्न है। विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता पर नोटिस की तामील पर्याप्त है परंतु उनकी तरफ से न तो कोई उपस्थित आया और न ही कोई आपत्ति दाखिल की गयी।

3. सुना तथा संबधित न्यायालयों की आख्या का परिशीलन किया।

4. समान पक्षकार एवं एक दूसरे से संबंधित वाद अलग अलग न्यायालयों में लंबित हैं। अतः न्याय हित में उनकी सुनवाई व निस्तारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना उचित है। अतः समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अंतरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार अंतरण प्रार्थना पत्र 3 ग स्वीकार किया जाता है। सक्सेशन वाद संख्या 60 सन 2005 श्रीमती संजय रानी प्रति श्रीमती कुसुम आदि तथा सक्सेशन वाद संख्या 80 सन 2005 संजय रानी बनाम कुसुम पुंडीर आदि को सिविल जज, सीनियर डिविजन, मुजफफरनगर से वापिस लेकर विधिनुसार निस्तारण हेतु अपर सिविल जज, सीनियर डिविजन, न्यायालय संख्या 1, मुजफफरनगर में अंतरित किया जाता है।

संबधित न्यायालय तदनुसार सूचित हों।

(विनय कुमार द्विवेदी)
जनपद न्यायाधीश
मुजफ्फरनगर

दिनांकः 18.09.2024

Digitally signed by Vinay Kumar Dwivedi
Date: 2024.09.18 18:08:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court